<u>न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-14/2021/भीलवाड़ा

श्री सत्यनारायण पिता स्व0 किशन जी जाति दरोगा आयु 60 वर्ष निवासी गुरला तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

--अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब भीलवाड़ा।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व न्यायालय अपर जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 66/2001 आ0नि0 निर्णय दिनांक 20.12.2001 अपील अन्तर्गत धारा 75 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित अभि0:—श्री जी0एस0 लखावत, श्री रोहित सोनी (वकील अपी0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांकः—29.04.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुरला तहसील भीलवाड़ा के खसरा नम्बर 1197/1 रकबा 4 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 18.06.1992 को अपीलांट सत्यनारायण को भूमि आवंटित की गई थी। प्रकरण संख्या 66/2001 निर्णय दिनांक 20.12.2001 द्वारा ए0डी0एम भीलवाड़ा न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन निरस्त कर दिया गया। उक्त प्रकरण तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा दर्ज करवाया गया था। अपीलांट के अनुसार उनके फर्जी हस्ताक्षर करवाकर तामील बताकर न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उक्त आवंटन निरस्ती के बाद निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की जा रही है—

1. उनको दिनांक 29.05.1992 से कब्जा सुपुर्द करने के बाद से उनका कब्जा चला आ रहा है तथा आवंटी उक्त भूमि पर काबिज होकर नियमित रूप से काश्त करता चला आ रहा है।

2. तामील विधिवत नहीं होने पर भी तामील मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की गई है तथा सीपीसी के आदेश 5 नियम 18 की पालना नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः ए0डी0एम न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.12.2001 निरस्त करते हुए अपीलांट के पक्ष में आवंटन यथावत रखा जायें।

3. अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपील के साथ अपीलांट द्वारा ए0डी0एम न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति, आवंटन आदेश, प्रार्थना पत्र वास्ते [illegible] सुपुर्दनामा, प्रार्थना पत्र नियम 14(4) दिनांक 12.10.2001, रिपोर्ट पटवारी, नोटिस दिनांक [illegible].2001 एवं दिनांक 26.11.2001, जमाबंदी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:40 IST
Reason: SelfAttested

अपील इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

बहस उभय पक्ष वकील सुनी गई, बहस में वकील अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह बताया गया कि कब्जा हमारा है तथा बिना हमे तामील हुए निर्णय पारित किया गया है। आवंटन निरस्ती बाबत विश्व रिप्रेजेटेंशन और फ्रॉड मुख्य आधार बताये है। पड़ोसी द्वारा दिनांक 31.12.2020 को सीमाज्ञान करवाने पर हमें एकपक्षीय निर्णय दिनांक 20.12.2001 की जानकारी हुई। मौखिक बहस में उनके द्वारा आरआरडी 1992 पेज 337 का उल्लेख किया तथा लिखित रूप में निम्न निर्णय न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये–

1. निम्बानाथ बनाम राजस्था सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय डी0बी0 निर्णय दिनांक 04.09.2018
2. 2011 डब्लयू0एल0एन(4) पेज 574, सरकार बनाम राजस्व मण्डल (राजस्थान उच्च न्यायालय) निर्णय दिनांक 31.10.2011
3. आरआरडी 1992 पेज 337 रामचन्द्र बनाम राजस्थान सरकार (राजस्व मण्डल राजस्थान) निर्णय दिनांक 19.02.1992
4. आरआरडी 1992 पेज 334 भंवरी बनाम बाबू (राजस्व मण्डल डी0बी0) निर्णय दिनांक 13.03.1992
5. आरआरडी 1992 पेज 17 रामकुमार बनाम राजस्थान सरकार(राजस्व मण्डल राजस्थान) निर्णय दिनांक 13.09.1991
6. आरआरडी 1986 पेज 7 गोपालराम बनाम बन्नेसिंह (राजस्व मण्डल राजस्थान) निर्णय दिनांक 28.10.1985
7. आरबीजे 2007 पेज 549 अब्दुल जफार बनाम नगर परिषद भीलवाड़ा(राजस्व मण्डल राजस्थान) निर्णय दिनांक 07.07.2006
8. एआईआर 1987 सुप्रिम कोर्ट पेज 1353
9. 2017 आरबीजे पेज 693 गोपाल बनाम राजस्थान सरकार (राजस्व मण्डल) निर्णय दिनांक 24.07.2017

रेस्पो0 राजकीय अभि0 ने बहस में कहा कि ए0डी0एम भीलवाड़ा का निर्णय विधि अनुसार था। अपीलांट ने कब्जा मौखिक रूप से बताया जबकि दस्तावेजीं साक्ष्य जरूरी है। अपीलांट वादपत्र प्रस्तुत करता अपील बहुत देरी से 20 वर्ष बाद की गई है। अपीलांट एकपक्षीय कार्यवाही को हटाने बाबत उसी न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते जो उनके द्वारा नहीं दिया गया अपील निरस्त की जाये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। कैम्प गुरला में दिनांक 29.05.1992 को ग्राम गुरला की खसरा नम्बर 1197 रकबा 4 बीघा किश्म बारानी तृतीय अपीलांट सत्यनारायण को आवंटित की गई। आवंटन आदेश की शर्त नम्बर 3 में अंकित किया हुआ है कि आवंटिती का आवंटन के एक वर्ष के भीतर कम से कम 50 प्रतिशत दूसरे वर्ष अनिवार्य भूमि काश्त करनी होती है। आवंटन की शर्त बिन्दु नम्बर 1 में यह अंकित किया है कि आवंटिती आवंटन की शर्तो तथा उक्त बिन्दुओ का पालन करें, तो 10 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकारों को प्रदान किया जायेगा। रिपोर्ट पटवारी के फोर्मेट का अवलोकन किया गया। उक्त फोर्मेट में यह अंकित किया हुआ रिपो[illegible] खातेदारी से गैर खातेदारी बाबत तथा वर्ष 1979 से वर्ष 2000 तक वर्षो का अंकन है [illegible] काश्तशुदा रकबो का भी विवरण किया है। इस फोर्मेट से अंकन किया है [illegible] सरकार गैर खातेदारी से खातेदारी देने की मंशा रखती है। मगर आवंटन की [illegible] की पालना न होने से अपीलांट के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 16.10.2001 को नोटिस जारी किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:40 IST
Reason: SelfAttested

गया। नोटिस की पुष्ट पर ललित सिंह पंवार अंकित किया हुआ है तथा तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा नोटिस को तामीलशुदा माना है।

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा आरआरडी 1992 पेज 337 का न्यायिक दृष्टांत बाबत कथन किये। इसका अवलोकन किया, यह मियाद अधिनियम की धारा 3 से संबंधित है जिसके अनुसार क्षैत्राधिकार विहिन कोई भी आदेश किसी भी समय रद्द किया जा सकता है और इसमें मियाद अवधि का कोई प्रश्न नहीं उठता है। आरआरडी 1992 पेज 335 भंवरी बनाम बाबू के न्यायिक दृष्टांत को पेश किया जिसके अनुसार जानकारी होने के बाद से मियाद अवधि को देखा जाना चाहिए। आरआरडी 1992 पेज 17 रामकुमार बनाम राजस्थान सरकार का उद्धरण पेश किया जिसके अनुसार गलत आदेश को कभी भी किसी भी समय चुनौति दी जा सकती है। अन्य न्यायिक दृष्टांत गोपालराम बनाम बन्नेसिंह आरआरडी पेज 7 के अनुसार जानकारी होने से मियाद अवधि को गिना जायें। आरबीजे 2007 अब्दुल गफार बनाम नगर परिषद भीलवाड़ा निर्णय की जानकारी से मियाद अवधि शुरू होगी। एआईआर 1987 (एस0सी) पेज 1353 देरी को क्षमा करने में न्यायालय को लिबरल रूख अपनाना चाहिए। आरबीजे 2017 पेज 618 के अनुसार भूमि आवंटन बिना सुनवाई के निरस्त नहीं किया जायें।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र को देखा गया। अपील अपीलांट के अनुसार सीमा विवाद के प्रकरण में उसे जानकारी हुई कि विवादित भूमि बिलानाम अंकित कर दी गई है। उक्त विवादित आदेश दिनांक 30.12.2001 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु दिनांक 29.12.2020 को ही नकल आवेदन किया। दिनांक 29.12.2020 को नकल प्राप्त हुई। जानकारी की अवधि दिनांक 29.12.2020 से 60 दिन की अवधि के अंदर अपील प्रस्तुत कर दी गई। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जायें। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र का अवलोकन किया गया उनकी जानकारी दिनांक से अपीलांट द्वारा दिनांक 08.02.2021 को न्यायालय हाजा के रीडर को प्रस्तुत कर दी गई। अतः अपील को अंदर मियाद मानते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। राजकीय अभि0 द्वारा आवंटन निरस्ती को विधि अनुसार माना तथा कथन किया कि कब्जा मौखिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता है अपितु दस्तावेजी साक्ष्य आवश्यक है। दिनांक 26.11.2001 को ए0डी0एम न्यायालय भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित नोटिस को देखा गया"। इसकी पुष्ट पर सत्यनारायण के हस्ताक्षर दिखाई पड़ता है। अपीलांट द्वारा सत्यनारायण हस्ताक्षर फर्जी होना बताया है यह आक्षेप न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नहीं है इस आक्षेप बाबत अपीलांट चाहे तो सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने बाबत चाराजोही कर सकता है। सीपीसी के आदेश 5 नियम 18 का अवलोकन किया गया आदेश 5 में समनो का निकाला जाना और उनकी तामील से संबंधित है। नियम 16 वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई है अभी स्वीकृति हस्ताक्षरित करेगा। नियम 18 तामील करने के समय और तिथि का पृष्ठांकन किया जायेगा। ए0डी0एम न्यायालय भीलवाड़ा द्वारा निर्णित अपीलाधीन प्रकरण आदेश 5 नियम 18 की पालना की जाना मालूम पड़ता है। दिनांक 26.11.2001 द्वारा पेशी नोटिस की पुष्ट पर सत्यनारायण के हस्ताक्षर दिखाई पड़ते है। अतः तामील होना पाया जाता है। अपीलांट का आक्षेप खारिज योग्य है।

इस पर ए0डी0एम न्यायालय भीलवाड़ा की उक्त प्रकरण से संबंधित प्रोसिडिंग दिनांकं 20.12.2001 का अवलोकन किया इसमें यह लिखा हुआ है कि "राजकीय अधिवक्ता उपस्थित है विपक्षीगण नोटिस तामील होने पर भी उपस्थित नहीं है। अतः विपक्षीगण पर एकपक्षीय कार्यवाहीं की जायें। ए0डी0एम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.12.2001 का भी अवलोकन किया गया उसमें यह अंकित किया है कि [illegible] तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का से विदित होता है आवटंन के पश्चात से ही विपक्षी द्वारा उक्त भूमि पर फसल काश्त नहीं की है तथा भूमि को पड़त रखा है तथा यही नहीं आवटंन शुदा भूमि पर उसका कब्जा भी नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:40 IST
Reason: SelfAttested

है। अतः विपक्षी के द्वारा आवंटन नियम 14(3) के उल्लघंना हो जाने से यह आवंटन निरस्त होने योग्य है। उक्तानुसार यह पाया गया कि ए0डी0एम न्यायालय भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 30.12.2001 में अपीलांट को तामील होना पाया जाता है साथ ही अपीलांट का कोई कब्जा काश्ता होना नहीं पाया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक प्रकरणो का सम्मान किया गया है अपील अंदर मियाद मानते हुए कार्यवाही की गई है। न्यायालय का यह मानना है कि कब्जेकाश्त का अभाव, आवटंन आदेश दिनांक 18.06.1992 की शर्तो की पालना नहीं करने से सही रूप से अपीलांट का आवटंन निरस्त किया गया है। ए0डी0एम न्यायालय भीलवाड़ा का आदेश 30.12.2001 यथावत रखा जाना उचित होगा।

कियात्मक आदेश

अपील अपीलांट विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 20.12.2001 वास्ते विवादित खसरा नम्बर 1197/1 रकबा 4 बीघा ग्राम गुरला तहसील भीलवाड़ा सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 20.12.2001 यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:39:40 IST
Reason: SelfAttested